न्यायालय विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)/चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुर–देहात।

अंतिम आख्या/वाद संख्या–354/2026

तापस रंजन शाह बनाम राजाराम

मुकदमा अपराध संख्याः–745/2023

धाराः–135 विद्युत अधिनियम।

थानाः–एंटी पावर थेफ्ट, जिला कानपुर देहात।

दिनांक–09.05.2026

पत्रावली आज लोक अदालत में निस्तारण हेतु प्रस्तुत हुयी। पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। थाना एंटी पावर थेफ्ट, जिला कानपुर देहात की पुलिस द्वारा प्रकरण उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध अंतिम आख्या इस आशय के साथ प्रेषित की गयी है कि अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण शुल्क अदा किया जा चुका है। जिसके अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध साबित नहीं है। जिस कारण विवेचना समाप्त कर अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। अतः अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने की कृपा करें।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वाद विच्छेदन रिपोर्ट अधिवक्ता द्वारा अंतर्गत पत्रांक/पत्र मय विद्युत जमा पर्ची संकलित कर पत्रावली में संलग्न की गयी है। जिसके अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध बिना संयोजन स्वीकृत के विद्युत का उपभोग चोरी से करने का मुकदमा पंजीकृत है। जिसमें बाद विवेचना अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा वादी को नोटिस जारी की गयी। वादी/अवर अभियंता की तरफ से विद्युत विभाग के अधिवक्ता द्वारा समर्थित प्रार्थनापत्र के अनुसार वह थाना से प्राप्त अंतिम रिपोर्ट से संतुष्ट है एवं कोई देय धनराशि शेष नहीं है। अंतिम आख्या स्वीकृत होने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा धारा 152 वि०अधि०/ओ.टी.एस. के तहत अधिरोपित धनराशि अदा की गयी है, जिसकी स्वीकारोक्ति विभाग द्वारा सत्यापित की गयी है। अपराध शमनीय प्रकृति का है। अतः मामले को तथ्य एवं परिस्थितियों में विवेचना द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या औचित्यपूर्ण प्रतीत होती है एवं स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त के विरुद्ध थाने द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट स्वीकृत की जाती है।

कॉरपोरेशन द्वारा जारी किये गये शासनादेश में जारी किये गये/दिये गये उपबंधों का यदि अभियुक्त अनुपालन नहीं करता है तो उक्त शासनादेश में दिये गये दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुपालन कराने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–**09–05–2026**

(अजय कुमार सिंह–II),

विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)/

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुर–देहात।

Digitally signed by AJAY KUMAR SINGH
Date: 2026.07.04 13:15:24 IST
Reason: ADJ Court N0 4
Location: District and Sessions Court